उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-14
संख्या-59 /625/2022/23-14-2022/12(जनरल)/2021
लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2022
<u>शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बुन्देलखण्ड विकास निधि अनुदान संख्या-83 अन्तर्गत शासनादेश संख्या-50/2022/499/001-23-14-2022-12जनरल-2022, दिनांक 17.08.2022 द्वारा जनपद-बांदा, महोबा, हमीरपुर एवं जालौन की कुल 19 परियोजनाओं हेतु अगली किस्त निर्गत की गयी है, परन्तु टंकक त्रुटिवश योगित कुल धनराशि रू0 993.30 लाख (रूपये नौ करोड़ तिरान्वे लाख तीस हजार मात्र) के स्थान पर रू0 993.33 लाख (रूपये नौ करोड़ तिरान्वे लाख तैंतीस हजार मात्र) अंकित हो गयी है।

2- अत: शासनादेश संख्या-50/2022/499/001-23-14-2022-12जनरल-2022, दिनांक 17.08.2022 में अंकित कुल धनराशि रू0 9,93,33,000.00 (रूपये नौ करोड़ तिरान्वे लाख तैंतीस हजार मात्र) के स्थान पर कुल धनराशि रू0 9,93,30,000.00 लाख (रूपये नौ करोड़ तिरान्वे लाख तीस हजार मात्र) पढ़ा जाय।

3- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17.08.2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 17.08.2022 की शेष शर्ते एवं अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

भवदीया,

नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-59/2022/625(1)/23-14-2022-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in